

(राजस्थान-सरकार)

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, बारों (राज.)

पीठासीन अधिकारी दिवांशु शर्मा (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :- 19/2024

रजिस्ट्रेशन सं. :- 2024/54

बचनवान

राज. सरकार जयें श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों (प्रार्थी)

बनाम

1. श्री गिरिराज कुमार पुत्र श्री प्रेमचंद जाति महाजन निवासी विकास कॉलोनी, वार्ड नं. 3, खेडलीगंज अटरू जिला बारों (विक्रेता एवं मालिक) मैसर्स माधोलाल प्रेमचंद, स्टेशन रोड, अटरू जिला बारों (राज.)
2. मैसर्स माधोलाल प्रेमचंद, स्टेशन रोड, अटरू जिला बारों (राज.)
3. मैसर्स महेश ईडेबल ऑयल इंडस्ट्रीज लि0, विलेज कैथोडी, बारां रोड जिला कोटा राज. 325202

(अप्रार्थीगण)

जुर्म अन्तर्गत धारा 26 की उप धारा 2 (1) 52 एफएसएस एक्ट 2006 रूल्स 2011

उपस्थिति :- 1- श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया खा.सु.अ.

(प्रार्थी)

2- श्री महेश प्रकाश गौतम अभिभाषक

(अप्रार्थीगण)

निर्णय दिनांक 21.05.2024

प्रकरण राजस्थान सरकार जयें श्री गोवर्धन सिंह ख्यालिया, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों द्वारा इस आशय का पेश किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.03.2023 को मैसर्स माधोलाल प्रेमचंद, स्टेशन रोड, अटरू जिला बारां(राज.) पर पहुंचा। वहाँ पर श्री गिरिराज कुमार पुत्र श्री प्रेमचंद महाजन (विक्रेता एवं मालिक) की हैसियत से उपस्थित था, कि उपस्थिति में निरीक्षण किया गया।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 29.03.2023 को कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारों में खाद्य सुरक्षा अधिकारी का कार्य सम्पादित कर रहा हूँ और मुझे राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 02.12.2022 के अनुसार खाद्य सुरक्षा अधिकारी नियुक्त किया गया है। श्रीमान आयुक्त खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक आयुक्ता0/खासुऔनि/संस्था/2022/6235 दि. 22.12.2022 से कार्यक्षेत्र जिला बारां आवंटित किया गया तथा आदेश क्रमांक 6379 दिनांक 26.12.2022 के अनुसार मुझे ब्रास सील संख्या 61 आवंटित की गई।

यह कि आवेदक द्वारा निरीक्षण करने पर पाया गया कि आम जनता को विक्रय हेतु रिफाईंड सोयाबीन तेल (स्टेफिट) एक लीटर मूल प्लास्टिक बोतल के 20 बोतल रखी हुई थी। मैंने अपना परिचय पत्र दिखाकर परिचय दिया एवं विक्रेता से परिचय लिया। विक्रेता से मौके पर रिफाईंड सोयाबीन तेल (स्टेफिट) एक लीटर मूल प्लास्टिक बोतल में मिलावट एवं मिथ्याछाप का शक होने पर नमूना लेने हेतु विक्रेता को अवगत कराया गया। तत्पश्चात नमूना वास्ते जांच हेतु लेने की सूचना फार्म नं0 5ए की प्रति स्वतंत्र गवाह की उपस्थिति में तैयार कर विक्रेता को देकर प्राप्ति रसीद ली जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारों द्वारा रिफाईंड सोयाबीन तेल (स्टेफिट) एक लीटर मूल प्लास्टिक बोतल की 01-01 लीटर के चार मूल प्लास्टिक बोतल वास्ते नमूना जांच हेतु खरीदी जिसकी कीमत श्री गिरिराज कुमार पुत्र श्री प्रेमचंद महाजन (विक्रेता एवं मालिक) को 480/- रुपये (अक्षरे चार सौ अस्सी रुपये) नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर विक्रेता के हस्ताक्षर हैं तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं तस्दीक कर स्वयं आवेदक ने हस्ताक्षर किये जिसकी प्रति आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक ने खरीदशुदा रिफाईंड सोयाबीन तेल (स्टेफिट) एक लीटर मूल प्लास्टिक बोतल के प्रत्येक भाग पर लेबल तैयार कर चिपकाये और लेबल पर डी.ओ. के कोड एवं क्रमांक ए.एच.- 1756 दर्ज किया। प्रत्येक लेबल पर स्वयं ने हस्ताक्षर किये एवं मालिक तथा गवाहान के हस्ताक्षर कराये। चारों नमूना भागों को अलग-अलग कागज में लपेट कर प्रत्येक नमूना भाग पर डी.ओ. बारां की हस्ताक्षरशुदा पेपर स्लिप नं. ए.एच.-1756 नियमानुसार चारों नमूना भागों पर नीचे से ऊपर तक फेविकोल से चिपकाकर प्रत्येक भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपड़ी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर मालिक के हस्ताक्षर नियमानुसार इस प्रकार करवाये कि पेपर स्लिप व रेपर दोनों पर आवे एवं सीलबन्द नमूनों पर गवाह के हस्ताक्षर कराकर नमूने का पूर्ण विवरण लिखकर मेरे द्वारा हस्ताक्षर कर चारों नमूना भागों को अपने जापत्तों में लिया।

आवेदक ने मौके पर फर्द रिपोर्ट तैयार कर विक्रेता एवं गवाहान को पढकर, सुनाकर एवं समझाकर हस्ताक्षर करने को कहा, जिसे श्री गिरिराज कुमार पुत्र श्री प्रेमचंद महाजन (विक्रेता एवं मालिक) ने भी पढकर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किये।

आवेदक ने कार्यालय पहुंच कर फार्म नं. 6 की प्रतियाँ तैयार की और प्रत्येक पर वह नमूना सील लगाई जिससे नमूना सील किया। एक नमूना भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर सील मोहर कर एवं एक प्रति फार्म नं0 6 की अलग से सीलड लिफाफे में स्वयं द्वारा खाद्य विश्लेषक, कोटा को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो आवेदन के साथ संलग्न है। दो सील बन्द नमूना भाग मय फार्म सं0 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग मय फार्म नं0 6 की प्रति के अभिहित अधिकारी(खाद्य सुरक्षा) एवं मु. चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां को जमा कराकर रसीद प्राप्त की जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी (खाद्य सुरक्षा) मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, बारां के पत्र क्रमांक/एफएसएसए/2023/188 दिनांक 25.04.2023 से ज्ञात हुआ कि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 692/PHL/Kota/Act/2023/694 दिनांक 13.04.2023 के अनुसार खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। रिपोर्ट आवेदन के साथ संलग्न है।

इस पर प्रकरण दिनांक 13.03.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, अप्रार्थीगण को जर्ने रजिस्टर्ड सम्मन से तलब किया गया। अप्रार्थीगण द्वारा जरिये अभिभाषक उपस्थित होकर उपस्थिति दी गई। प्रकरण में अप्रार्थीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत किया गया जो शामिल पत्रावली किया जाकर उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई।

राजस्थान सरकार जरिये प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी, बारां ने परिवाद में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि अप्रार्थीगण **रिफाइंड सोयाबीन तेल (स्टेफिट) एक लीटर मूल प्लास्टिक बोतल** को वास्ते नमूना जांच हेतु विक्रय किया गया था, वह खाद्य विश्लेषक, कोटा की जांच रिपोर्ट में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 3(1)(Zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। अप्रार्थीगण का उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 में निर्धारित है। अतः अप्रार्थीगण को भारी से भारी जुर्माने से दण्डित किया जावे।

अप्रार्थीगण के अभिभाषक द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया गया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा खाद्य पदार्थ का नमूना जांच हेतु लेने में नियमों की पालना नहीं की गई है। पब्लिक हेल्थ लेबोरेट्री द्वारा जारी जांच रिपोर्ट में जांच अवधि में किये परिणामों का कोई वर्णन नहीं है। इस अवधि में किये गये परीक्षण का परिणाम पृथक-पृथक तिथियों का दर्ज नहीं है। अतः निवेदन है कि अप्रार्थीगण के विरुद्ध प्रस्तुत कार्यवाही निरस्त फरमाई जावे।

प्रार्थी राजस्थान सरकार जर्ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी बारां द्वारा कहा गया कि अप्रार्थीगण यदि खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 692/PHL/Kota/Act/2023/694 दिनांक 13.04.2023 से असन्तुष्ट थे तो अप्रार्थीगण को जर्ने पत्र सूचित किया जाकर एक माह का समय दिया गया था कि उक्त सेम्पल की पुनः जांच करवाये। किन्तु अप्रार्थीगण द्वारा उक्त सेम्पल की पुनः जांच नहीं करवायी गई है।

प्रकरण में उभयपक्ष की अंतिम बहस सुनी गई और पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में अप्रार्थीगण से वास्ते नमूना जांच हेतु कय **रिफाइंड सोयाबीन तेल (स्टेफिट) एक लीटर मूल प्लास्टिक बोतल** खाद्य विश्लेषक, कोटा से प्राप्त जांच रिपोर्ट क्रमांक 692/PHL/Kota/Act/2023/694 दिनांक 13.04.2023 के अनुसार, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स 2011 की धारा 3(1)(zf)(C)(i) के तहत **मिथ्याछाप (Misbranded)** होना पाया गया। उक्त कृत्य खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 26 की उप धारा 2(11) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 रूल्स, 2011 की धारा 52 के तहत अप्रार्थी क्रम 01 व 02 को 20,000/- रूपये एवं अप्रार्थी क्रम 03 को 80,000 रूपये प्रकरण में कुल जुर्माना राशि 1,00,000/- रूपये (अक्षरे एक लाख रूपये) के आर्थिक दण्ड से दण्डित किया जाता है। अप्रार्थीगण उक्त जुर्माना राशि ई-मित्र सेवा केन्द्र से चालान निकलवाकर, जरिये चालान बैंक में निर्धारित मद **0210 चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04 लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, 03 खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञा पत्र शुल्क आदि** में जमा करवाकर, चालान की प्रति इस न्यायालय में अन्दर एक माह प्रस्तुत करे।

निर्णय आज दिनांक **21.05.2024** को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिवांशु शर्मा)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अति० जिला मजिस्ट्रेट,
बारां (राज.)